प्रा164

127

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संचिका संख्या–02 / विविध–32 / 2014 परि0 1631·

आदेश

विभाग के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालयों में ससमय कम्प्यूटर सामग्री यथा–स्मार्ट कार्ड, रिबन इत्यादि की आपूर्ति नहीं करने के कारण आपूर्तिकर्ता श्रीवेन इन्फोकॉम प्रा0 लि0 को काली सूची में दर्ज करते हुए उनके सुरक्षित राशि को जब्त कर लिया गया है तथा परिवहन कार्यालयों के आपूरित सामग्रियों की बकाया राशि के भुगतान पर रोक भी लगा दिया गया है ।

2. विभिन्न परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटर सामग्री यथा–स्मार्ट कार्ड, रिबन इत्यादि की आपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । इस प्रक्रिया में 2 माह का समय लगने की संभावना है ।

3. सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कार्यकलाप बूरी तरह कुप्रभावित हो रहा है और आमजनों के भीतर भी गहरा असंतोष है । कई स्थानों पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है । इस प्रशासनिक कठिनाई को देखते हुए तथा नये सिरे से सामग्री की आपूर्ति शुरू होने में लगने वाले समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हो गई है । ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम–48 के प्रावधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) को कागज पर (Paper Mode) में निर्गत करने का निर्णय लिया गया है । Paper Mode में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) निर्गत होगी वह स्मार्ट कार्ड की तरह फार्म–23 पर निर्गत होगी । Paper Mode में निर्गत होने वाली रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के पृष्ट भाग पर निम्नांकित निर्देशों का उल्लेख रहेगा –

(क) यह व्यवस्था स्मार्ट कार्ड निर्गत होने तक की वैकल्पिक व्यवस्था है ।

(ख) वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर फार्म–23 के अनुसार निर्गत Paper Mode रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) मूल रूप में ही मान्य होंगे । इसकी छायाप्रति आदि मान्य नहीं होगी ।

(ग) Paper Mode में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 6 (छः) माह की अवधि तक ही वैध होंगे ।

(घ) स्मार्ट कार्ड बनने के बाद उसे प्राप्त करते समय Paper Mode के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) को मूल रूप में संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा ।

इस बीच स्मार्ट कार्ड एवं रिबन की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ की जा रही है । स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति होने के पश्चात सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रधारी जिन्हें Paper Mode में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) दिया गया है, को स्मार्ट कार्ड निर्गत कर दिया जायेगा।

सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक– संचिका संख्या–02/विविध–32/2014 परि0 1631 पटना, दिनांक–08/04/15

प्रतिलिपि : सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/प्रधान पद्धति विश्लेषक, एन.आई.सी., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक– संचिका संख्या–02/विविध–32/2014 परि0 1631 पटना, दिनांक–08/04/15

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।